बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-149
02/04/2020

मुख्यमंत्री ने सभी राशन कार्डधारियों को कोरोना सहायता के रूप में एक हजार रूपये प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान की योजना का माउस क्लिक कर किया शुभारंभ

पटना, 02 अप्रैल 2020 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण तथा लॉकडाउन की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित सभी राशन कार्डधारियों को कोरोना सहायता के रूप में एक हजार रूपये प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान की योजना का माउस क्लिक कर शुभारंभ किया। यह राशि नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर (एन0आई0सी0) के सहयोग से पब्लिक फाइनांनसियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी0एफ0एम0एस0) के द्वारा राज्य स्तर से ही सीधे लाभुकों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। इसकी शुरूआत में आज ही 18,40,854 लाभुकों के बैंक खाते में एक हजार रूपये की दर से कुल 184 करोड़ 8 लाख 54 हजार रूपये की राशि हस्तांतरित की गयी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शेष लाभुकों को कम से कम समय में राशि हस्तांतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित वैसे राशन कार्डधारी जिनका आधार संख्या राशन कार्ड डाटा बेस में उपलब्ध नहीं है, वे अपने घर से ही मोबाइल द्वारा आधार संख्या आपदा प्रबंधन विभाग के बेवसाइट http://aapda.bih.nic.in/fooddbt के माध्यम से दे सकते हैं।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, आपदा प्रबंधन मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राय, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन श्री प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, सचिव खाद्य, उपभोक्ता एवं संरक्षण श्री पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित आपदा प्रबंधन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

******